न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज.)

प्रकरण संख्या 190/2017 D.N. 431

कैलाश पिता काना जाति धाकड़ नि. आल का खेड़ा बनाम गोपाल आचार्य वगैरह

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

– आदेश :–

दिनांक 24/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री कैलाश धाकड़ श्री राधेश्याम शर्मा ने जरिये [illegible] ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल [illegible] खाते की भूमि ग्राम आल का खेड़ा प0ह0 राजगढ़ तह0 माण्डलगढ मे आ[illegible] 188, 335/189 किता 2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आय [illegible] विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान करा[illegible] साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अ[illegible] की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत 2074 के अवलोकन से प्रार्थी [illegible] आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद कर[illegible] शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव [illegible] है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया [illegible] ग्राम आल का खेड़ा की आराजी न0 188, 335/189 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा 16 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये [illegible] के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया। [illegible] कमीशनर फीस 150/ रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। [illegible] पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़